पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 375/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-26.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 26.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना-सिधारीः चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

➡आज दिनांक 26.11.2024 को उ0नि0 राजबिहारी सिंह मय हमराह उ0नि0 नितिश सिंह मय आरक्षी नन्दलाल कुमार का0 सद्दाम हुसैन की संयुक्त टीम द्वारा जमालपुर कालोनी पुलिया के पास से समय करीब सुबह 04.10 बजे अभियुक्त आशुतोष चौबे पुत्र भैरो प्रसाद चौबे निवासी मुहल्ला चौबाना थाना सिधारी उम्र 25 वर्ष आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से पूर्व में थाना सिधारी पर पंजीकृत हुए मुकदमें से सम्बन्धि एक बोरी में तार एल्युमिनियम एव केबल तार व दो पारदर्शी डिब्बे में 1900/- रुपया व दो अदद बैटरी बरामद किया गया।

अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्त आशुतोष द्वारा बताया गया कि साहब मे नशा करने का आदी हुं भिन्न भिन्न स्थानो से चोटी मोटी चोरी करके नशा का खर्च निकालता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहासः-

आशुतोष चौबे पुत्र भैरो प्रसाद चौबे निवासी मुहल्ला चौबाना सिधारी थाना सिधारी उम्र 25 वर्ष आजमगढ़

1.मु0अ0सं0- 83/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2. मु.अ.स. 339/24 धारा 305/317(2) बीएनएस बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3. मु.अ.स. 340/24 धारा 305/317(2) बीएनएस बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

4 मु.अ.स. 341/24 धारा 305 बीएनएस बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

5. मु.अ.स. 353/24 धारा 305/317(2) बीएनएस बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

6 . मु.अ.स. 349/24 धारा 305/317(2) बीएनएस बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

02. थाना दीदारगंज किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनाँक-27.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी कि वादी की लड़की को दिनाँक-07.11.24 को अर्जुन राजभर पुत्र रामजीत ग्राम लारपुर साहबअली द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 203/24 धारा 137(2),87 BNS बनाम बनाम अर्जुन राजभर पुत्र रामजीत ग्राम लारपुर साहबअली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनाँक-26.07.2024 उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन राजभर पुत्र रामजीत निवासी लारपुर साहबअली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को सुरहन मोड (बधवा तिराहा) के पास से समय करीब 09.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना जीयनपुर: प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के तालाब की मछलियों की हुई नीलामी

आज दिनांक 26.12.2024 को मा० न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ मुकदमा नंबर 06/08 राज बनाम ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ में पारित आदेश के तहत **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सगडी के नेतृत्व में तहसील सभागार तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में नायब तहसीलदार श्री विवेकानंद थानाध्यक्ष जीयनपुर मय पुलिस बल की उपस्थिति मे ग्राम खालिसपुर स्थित गाटा संख्या 130, 131,132 की भूमि का एक 1/3 भाग तालाब में पालीत मछलियों की नीलामी की गयी, जिसमें दशरथ पुत्र स्व0 त्रिलोकी निवासी अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ तथा फजलुर्रहमान पुत्र अब्दुल्ला निवासी चांदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा नीलामी में प्रतिभाग किया गया जिसमें सबसे ज्यादा 1,18,000/- (एक लाख अठारह हजार) रूपयें की बोली लगाकर दशरथ पुत्र स्व0 त्रिलोकी द्वारा तालाब की मछलियों को लिया गया।